डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ0प्र0)
DR. RAMMANOHAR LOHIA AVADH UNIVERSITY, AYODHYA (U.P.)

पत्रांकः लो0अ0वि0 / गो0वि0 / 5507 / 2021 दिनांकः 19.06.2021

कार्यालय–विज्ञप्ति

कोविड–19 महामारी के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के दृष्टिगत शैक्षणिक सत्र 2020–21 में अध्ययनरत् छात्र / छात्राओं को अगली कक्षा में प्रोन्नत किये जाने / परीक्षायें आयोजित किये जाने के संबंध में उच्च शिक्षा अनुभाग–03, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र के संख्याः 1200 / सत्तर–3–2021–08(20), दिनांकः 08 जून, 2021 एवं तद्क्रम में उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद द्वारा जारी पत्रांकः 236 / रा0उ0शि0प0 / 53 / 19, दिनांकः 09 जून, 2021 के अनुक्रम में माननीय कुलपति महोदय द्वारा गठित छः सदस्यीय समिति द्वारा अनुसंशित प्रस्ताव एवं परीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित सामान्य निर्देश निम्नवत् हैः–

शैक्षणिक सत्र 2020–21 की मुख्य परीक्षा हेतु प्राचार्या / प्राचार्य / केन्द्राध्यक्ष तथा परीक्षार्थियों के लिये अनुदेश

1. स्नातक प्रथम वर्ष के छात्र / छात्राओं को द्वितीय वर्ष में प्रोन्नत किया जायेगा तथा वर्ष 2022 में होने वाली उनकी द्वितीय वर्ष की परीक्षा के अंको के आधार पर अन्तर्वेशन से उनके प्रथम वर्ष का परीक्षा परिणाम तथा अंक निर्धारित किया जायेगा। स्नातक द्वितीय वर्ष के छात्र / छात्राओं को तृतीय वर्ष में प्रोन्नत किया जायेगा तथा वर्ष 2020 के प्रथम वर्ष के परीक्षा परिणाम के आधार पर द्वितीय वर्ष का परीक्षा परिणाम निर्धारित किया जायेगा। परास्नातक पूर्वार्द्ध के छात्र / छात्राओं को उत्तरार्द्ध में प्रोन्नत किया जायेगा तथा वर्ष 2022 में सम्पन्न होने वाली उनकी परास्नातक उत्तरार्द्ध की परीक्षा के आधार पर उन्हे अन्तर्वेशन से परास्नातक पूर्वाद्ध का परीक्षा परिणाम तथा अंक निर्धारित किये जायेंगे।
2. स्नातक तृतीय वर्ष तथा परास्नातक उत्तरार्द्ध की परीक्षायें दिनांकः 21.07.2021 से 13.08.2021 के मध्य सम्पादित करायी जायेंगी। विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम शीघ्र ही विश्वविद्यालय की बेवसाइट पर अपलोड करा दिया जायेगा।
3. उक्त परीक्षायें क्रमशः प्रातः 09.00–10.30 बजे तक एवं सायं 03.00–04.30 तक दो पालियों में 1.30 घण्टे की समयावधि में परम्परागत रूप में सम्पादित होंगी। इस हेतु प्रश्नों की संख्या अनुपातिक रूप से निर्धारित की जायेगी, यद्यपि पूर्णांक परिवर्तित नहीं किया जायेगा।
4. प्रायोगिक परीक्षा के अंक छात्रों की लिखित परीक्षा के अंको के आधार पर दिये जायेंगे। मौखिक परीक्षा सेमिनार / शार्ट टेस्ट आनलाइन माध्यम से कराया जा सकता है।
5. ऐसे छात्र / छात्रा जो उपर्युक्त व्यवस्था से घोषित परीक्षा परिणाम से संतुष्ट नहीं होंगे वे वर्ष 2021 / 2022 में आयोजित होने वाले बैक पेपर परीक्षा अथवा वर्ष 2023 में आयोजित होने वाली वाली परीक्षा के उन समस्त / किसी भी विषय की परीक्षा में सम्मिलित होकर अंकों में सुधार करने का अवसर प्राप्त कर सकेंगे।
6. परीक्षा के दौरान कोविड–19 से बचाव हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वार जारी समस्त दिशा–निर्देशों, प्रोटोकाल एवं सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन कड़ाई से किया जाना अनिवार्य होगा। परीक्षा कक्षों में छात्र / छात्राओं को बैठने की व्यवस्था सोशल डिस्टेन्सिंग के मानक के अनुरूप कड़ाई से सुनिश्चित किया जाय।
7. परीक्षा कक्ष हवादार हों तथा खिड़कियों एवं रोशनदान खोलकर परीक्षा सम्पादित करायी जाये।
8. परीक्षा प्रारम्भ होने के पहले एवं समाप्ति के उपरान्त परीक्षा कक्षों के सैनेटाइजेशन की व्यवस्था तथा परीक्षा कक्ष में छात्र / छात्राओं के प्रवेश के पहले हैण्ड वास, थर्मल स्कैनिंग एवं फेस मास्क की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय।

9. यदि कोई परीक्षार्थी कोरोना संक्रमण के कारण परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाता है, तो ऐसी दशा में परीक्षार्थी को उस विषय/प्रश्नपत्र की विशेष परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये अवसर दिया सकता है, जो विश्वविद्यालय की सुविधानुसार आयोजित की जायेगी, जिससे परीक्षार्थी को किसी प्रकार की असुविधा/क्षति न हो।
10. विश्वविद्यालय द्वारा अगस्त, 2021 तक परीक्षाफल घोषित करने की योजना सुनिश्चित की गयी है, जिससे दिनांकः 13.09.2021 से शैक्षणिक सत्र 2021–22 से प्रारम्भ किया जा सके।
11. उपर्युक्त प्राविधान केवल एक बार वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2020–21 के लिये ही लागू होगा।
12. शैक्षणिक सत्र 2020–21 की मुख्य परीक्षा के सम्पादन एवं प्रक्रिया से जुड़े अन्य निर्देश यथासमय निर्गत किये जायेंगे।

Unsingh

परीक्षा नियन्त्रक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. ब्यूरो प्रमुख, ... को इस आशय से प्रेषित की उक्त अधिसूचना को अपने सम्मानित समाचार पत्र में छात्रहित में निशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।
2. प्राचार्या/प्राचार्य, विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों को इस आशय से प्रेषित कि उक्त कार्यालय–विज्ञप्ति से अपने परीक्षाथियों को संसूचित करते हुए अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
3. निजी सचिव कुलपति, माननीय कुलपति महोदय जी के अवलोकनार्थ।
4. वैयक्तिक सहायक कुलसचिव/वित्त अधिकारी, कुलसचिव/वित्त अधिकारी के सूचनार्थ।
5. उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव/प्रशासनिक अधिकारी (गोपनीय/परीक्षा)।
6. प्रोग्रामर, ई0डी0पी0 को इस आशय से प्रेषित की उक्त अधिसूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाईट एवं महाविद्यालयों की कालेज लॉगिन पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
7. कार्यालयीय प्रति।

Unsingh

परीक्षा नियन्त्रक